अपलोड करवाये है 23/3/2018

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांकःभूमि / एफ.7(घ)(43) / डीएलबी / 16 / 918 जयपुर,दिनांकः 12/3/2018

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.1(50)राज–6 / 2016 / 02 दिनांक 21.07.17 के निर्देशानुसार सिरोही जिले के केशरगंज ग्राम पंचायत, तहसील आबूरोड के खसरा संख्या 91 में Construction of ROB on LC-132 at Km 600/1.2 between Abu Road Maval Station at Abu Road District Sirohi के प्रयोजनार्थ निम्न भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैः–

क.सं.	ग्राम	खसरा संख्या	खातदार	कुल रकबा बीघा –बिस्वा	अर्जन योग्य रकबा बीघा –बिस्वा
1	केशरगंज पटवार हल्का आबूरोड	91	श्री महाराज कुंवर साहब श्री रघु वीर सिंह जी सिरोही, राजपूत	59.06	1.99

यह कि राज्य सरकार उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड जिला सिरोही को प्राधिकारी नियुक्त करती है।

उपरोक्त उपखण्ड अधिकारी प्रस्तावित भूमि से प्रभावित गॉव में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर समाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों / आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया प्रभावित गांवो में संबंधित पंचायत / नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी ।
5. समाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

Received Today 23.03.2018

23.03.2018

D:\Qayam\S.Adhisuchna.docshahzad/Document

Scanned by CamScanner

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
7. राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 की पालना सुनिश्चित की जावे।

सम्पर्क सूत्रः–

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सीः–

1. नगरपालिका आबूरोड जिला सिरोही राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत केशरगंज, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd.

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःभूमि / एफ.7(घ)(43) / डीएलबी / 16 / 919-928 दिनांकः 12/3/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, सिरोही।
3. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत जिला सिरोही।
4. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
5. कार्यकारी निदेशक, RUIFDCO जयपुर।
6. परियोजना निदशेक, आर.एस.आर.डी.सी. लि., युनिट–पाली।
7. तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आबूरोड को निर्देशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना को दो स्थानीय समचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) करवाने के साथ ही संबंधित पंचायत, नगरपालिका, जिला कलक्टर तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना को उपलब्ध कराये।
9. विभागीय प्रोग्रामर इस विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)

अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner